



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3155]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941

No. 3155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ASVINA 3, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2019

का.आ. 3461(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

राजपरियत वन्यजीव अभयारण्य 33°36'30" से 33°42'30"उ और 75°25'30" से 75°31'15"पू के मध्य और कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में श्रीनगर शहर के दक्षिणी भाग पर लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभयारण्य का क्षेत्रफल 48.28 वर्ग किलोमीटर है;

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य और इसके समीपवर्ती क्षेत्र महत्वपूर्व जीवजन्तु प्रजातियों की वितरण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिनमें कस्तूरी मृग, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई काला भालू और सामान्य तेंदुआ आदि शामिल हैं। अभयारण्य कश्मीर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल डाक्सुम ग्राम के बैकड्राप में स्थित है। क्षेत्र में सतत पर्यटन कार्यनीति बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि वनों और इसके आसपास के क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अधिसूचित किया जाए। इसके अतिरिक्त, अभयारण्य के एक भाग में इस समय विभाग का भेड़ प्रजनन फार्म है। अभयारण्य के अंतर्गत दाईं ओर ऐसे फार्म विद्यमान हैं जिनसे वनस्पतियों और जीवजन्तुओं को सीधे खतरा है। भेड़ फार्म द्वारा गर्मियों में चराई भूमि के रूप में वन क्षेत्र के बड़े भाग का उपयोग किया जाता है, जिससे जंगली शाकाहारियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। इसके अतिरिक्त पालतू भेड़ों से जंगली जानवरों को हमेशा बीमारियां फैलाने का खतरा रहता है। क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने से इस भेड़ प्रजनन फार्म को इसके वर्तमान स्थल से अन्यत्र करना होगा;

और, ऊंचाई, आकार और मिट्टी में भिन्नता के कारण, मार्ग में वनस्पतियों की विविधता देखी गई है। अभयारण्य में विद्यमान वन प्रकारों की चार भिन्न विविधताएं हैं। इन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: (क) तटवर्ती वनस्पति:- इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से डकसुम के पास राजपरियन नाले के सहायक नालों के किनारे खातान पथरी तक सीमित है। मुख्य रूप से कुछ बड़े पत्ते वाले जेनेरा जैसे *एस्क्युलस इंडिका*, *जुगलन्स रेगिया*, *रुबिनिया*, *मॉरस*, *क्वेरकस इन्काना*, *रिसस सक्सेडेनिया*, *केल्टिस कैवाकासिका*, *पूनस पर्सिका*, *उल्मस वालिचियाना*, *कोरेक्लस कोलुर्ना*, *पडस कॉर्नुटा* आदि हैं। भूमि पर झाड़ियों की अधिकता है जिनमें क्षेत्र में विद्यमान *पैरोटियाप्सिस जैकामोंटियाना*, *वूबरनम* के साथ रोजा प्रजातियां, *बर्बरीस प्रजाति*, *रुबस*, *एस्कलस इंडिकस*, *लोनिकेरा* और *इंडिगोफेरा प्रजातियां*, *डेमोडियम*, *जैस्मीन* और *इसोडोन* शामिल हैं। (ख) शंकुधारी वन:- यह सदाबहार कैल वन (*पिनस ग्रैफ़िथी*) का है, जिसमें स्पूस (पिका स्मिथियाना) है, अन्य चौड़ी पत्तीदार प्रजातियों के साथ *एस्क्युलस इंडिका*, *क्वेरकस इंकाना* और फर (*एबिस पिंड्रो*) समुदाय हैं, जो अभयारण्य की खड़ी ढलानों तक सीमित हैं। ऊंचाई पर, स्पूस (*पिका स्मिथियाना*), *पिनस वालिचियाना*, हेटरनथा झाड़ियों के साथ पाया जाता है। कुछ जगहों पर बिर्च (*बेतुला यूटिलिस*) की चौड़ी पत्ती प्रजातियाँ केली (*पिनस ग्रिफ़िथी*) और स्पूस के साथ काफी पाई जाती हैं, इसके अलावा सोबोरिया टोमेंटोसा, रोजा प्रजाति, वाइबरम प्रजातियों के साथ पाई जाती है। (ग) एल्पाइन चरागाह और झाड़ियां:- यहाँ ज्यादातर बिर्च (*बेतुला यूटिलिस*), वन-मार्ग की अज्ञात घासें, कुछ स्थानों में रोडोडेंड्रोन, कॉम्पैनुलैटम, रोजा और रुबस प्रजाति प्रजातियों के साथ स्पूस (*पिका स्मिथियाना*) और कुछ स्थानों पर जुनिपरस, इंडिगोफेरा, प्रिमुला, एनेमोन, मायोसोटिस हैं। (घ) रॉक फ़ेस:- इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति अधिकतर पहाड़ी की चोटियों और खड्डों तक सीमित होती हैं जिन्हें 'नरस' कहा जाता है और मोटी घास, जुनिपरस प्रजातियां और रोडोडेंड्रन प्रजातियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है;

और, पश्चिमी हिमालय औषधीय और सुगंधित पौधों का एक भंडार-गृह है जिसका उपयोग औषधीय और इत्र उद्योगों में किया जाता है। राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य में अति औषधीय महत्व की असंख्य पौधों की प्रजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में जंगली उगने वाले कुछ औषधीय पौधों में *एकोनिटम हेट्रोफिलम*, *अर्नबिया बेंटमाइ*, *आर्टेमिसिया एबसिंथियम*, *बर्बेरिस लायसियम*, *बर्जेनिया लिंगुलाटा*, *धतूरा स्ट्रैमोनियम*, *डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया*, *लवटेरा कैशमेरियाना*, *सोसुरिया कोस्टस* और *टैक्सस वालिचाइना*, आदि शामिल हैं।

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य (डकसुम) कई सामान्य, दुर्लभ और लुप्तप्राय स्तनधारी प्रजातियों का पर्यावास है जिसमें कस्तूरी मृग (*मोस्वस मोस्चीफेरस*), सीरो (*कैपरिकोरनिस सुमत्रेनिस*), हिमालयन मर्मोट (*मर्मोट हिमालियाना*), हिमालयन माउस-हेर (*ओकोटोना सेइली*), कश्मीर उड़न गिलहरी (*इग्लोकोमिस फ़ाइब्रायटस*), हिमालयन यलो थ्रोटेड मार्टीन (*मार्टेस फ़्लाविगुला*), ब्राउन भालू (*उर्सस इसाबेलिनस*), एशियाटिक ब्लैक बियर (*उरसस थिबेटानस*), लाल लोमड़ी (*वुलपस मॉंटाना*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), छोटे भारतीय नेवला (*हर्पेस्टेस एरोप्रैक्टैटस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), सामान्य ग्रे लंगूर (*सेन्नोपिथेकस अजाक्स*), रीसस मकाक (*मैकाका मुलाटा*), हिम तेंदुआ (*पैंथेरा अनसिया*), शामिल हैं। अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ ब्लैक इअरड काइट (*मिल्वस माइग्रेंस*), हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध (*जिप्स हिलायन्सिस*), व्हाइट बैकड गिद्ध (*स्यूडोपस बेंगालेंसिस*), मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजैनस*), हिमालयन स्नो कॉक (*टेट्राओगैलस हिमालैन्सिस*), चुकर (*एलेक्टोरिस चुकर*), कोकलास (*पेरसिया मैकरोलोफा*), ब्लू रॉक कबूतर (*कोलंबा लिविया*), हिमालयन रूफस कछुआ कबूतर (*स्ट्रेप्टोपेलिया ओरिएंटलिस*), रिंग डव (*एस. डेकोटा*), लाल कछुआ कबूतर (*एस. ट्रेक्युबैरिका*), एशियाई कोयल (*क्यूक्यूलस*

सेतुराटस), अल्पाइन स्विफ्ट (तचीमराटिस मेल्बा), कश्मीर रोलर (कूसियस गैसरुल्लस सेमेनवी), कॉमन हॉपे (उपूपा एपोप्स), कश्मीरी कठफोड़वा (ट्रायबेटस हिमालयनासिस), कॉमन स्वालोव (हिरुंदो रुस्टिका), रुफस बैकड थ्राइक (लैनिअस स्कैच), यूरेशियन गोल्डन ओरियोल (ओरियोलस ओरियोलस), भारतीय मैना (एक्रीडोथेरेस ट्रिस्टिस), लार्ज बिल्ड क्रो (कोरवस मैक्रोरिनचोस), लार्ज स्पॉटेड नटक्रैकर (नुसिफ्रेगमुही पंकटाटा), व्हाइट चेकड बुलबुल (पाइकोनोटस ल्यूकोजेन्स), स्ट्रेकड लॉफिंग ग्रश (ट्रोक्लेप्टेरॉन लिनेनटम), कश्मीर वरेन (ट्रोग्लोडाइटस नेगलेक्टस), ग्रे टीट (पारस मेजर), कश्मीर हाउस गौरैया (पासेर डोमेस्टिकस), आदि हैं;

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां भूरा भालू (संकटापन्न), कश्मीर कस्तूरी मृग (संकटापन्न), सामान्य तेंदुआ (वलनेरेवल), हिम तेंदुआ (संकटापन्न), बिअरडेड गिद्ध (निकटवर्ती खतरा), कश्मीर फ्लाईकैचर (वलनेरेवल), आदि हैं;

और, राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले के राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा-** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 22.60 वर्ग किलोमीटर है।
(प्रवेश के लिए दक्षिणी भाग की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार इस कारण से था कि डाक्सुम ग्राम और इसके विद्यमान विकासशील क्रियाकलाप सीमित कारक हैं। उपबंधित मानचित्रों में बिंदु ए1 से ए4 तक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के शून्य विस्तार के रूप में भी रखा गया है, क्योंकि उक्त भाग दूसरे प्रांत यानी जम्मू प्रांत में पड़ता है, जबकि अभयारण्य के चारों ओर 30 मीटर से 1 किलोमीटर तक है, अभयारण्य के अतिरिक्त गलियारे को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उक्त क्षेत्र मुख्य रूप से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इससे क्षेत्र में वन्यजीवों और समृद्ध जैव विविधता को संचलन की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।)
- (2) राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, उपाबंध-IIघ, और उपाबंध-IIङ** के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से

- और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--
- (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (x) नगरपालिका;
 - (xi) पंचायती राज; और
 - (xii) लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। महायोजना में प्रस्तावित और विद्यमान भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी सहायक मानचित्र द्वारा दिया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैरा 4 की सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप;

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

- (3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.**— (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की बहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
- तथापि, पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्यापक संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिष्काव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।
- (15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाईयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए घरों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या घरों या अन्य क्रियाकलापों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
		अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
28.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	ट्रेनिंग ग्राउंड।	नए ट्रेनिंग ग्राउंड की स्थापना प्रनिषिद्ध है। पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
30.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग, आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	वायुगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागवानी और वनौषधियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	अवक्रमित भूमि/वनो/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- प्रभावी मानीटरी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	कलेक्टर, अनंतनाग	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	क्षेत्रीय अधिकारी, जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	सदस्य;

(vi)	प्रभागीय वन अधिकारी सह वन्यजीव वार्डन, दक्षिण कश्मीर अनंतनाग	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव वार्डन, दक्षिण कश्मीर अनंतनाग	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
 - (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
 - (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
 - (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
 - (6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
 - (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध -IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
 - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा.सं. 25/03/2019-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


उपाबंध- I

जम्मू और कश्मीर राज्य के राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

सं. क्र.	दिशा डब्ल्यू. आर. टी सीमाओं अभयारण्य का	बिन्दु	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से संरक्षित क्षेत्र (एम) की मीटर में दूरी	भू-निर्देशांक		टिप्पणियां
				अक्षांश	देशांतर	
1	उत्तर पूर्व	ए2	1000	उ 33°40'54.182"	पू 75°30'35.514"	अल्पाइन चारागाह, शिल्सर पास
2	पूर्व	ए 3	30	उ 33°39'15.486"	पू 75°30'57.485"	पीर पंजाल दर्रा, रास्ता बार
3	दक्षिण पूर्व	ए 4	30	उ 33°37'45.695"	पू 75°30'0.406"	पीरपंजाल दर्रा, वोगबलसर
4	दक्षिण	ए 6	1000	उ 33°36'35.538"	पू 75°25'5.481"	अल्पाइन चरागाह, राजपर्यिन नार
5	पश्चिम	ए 7	1000	उ 33°38'54.901"	पू 75°25'24.056"	वोपालहक मार्ग
6	उत्तर पश्चिम	ए 8	1000	उ 33°41'6.639"	पू 75°27'42.689"	हरदालौ
7	उत्तर	ए 9	1000	उ 33°42'54.937"	पू 75°29'17.450"	अल्पाइन चारागाह, गांधीमाण्डु
8	दक्षिण पश्चिम	ए 10		उ 33°36'50.538"	पू 75°26'6.111"	


उपाबंध- IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का दिशा मानचित्र




उपाबंध- IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




उपाबंध- IIघ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	दिशा डब्ल्यू. आर. टी. अभयारण्य की सीमाएँ	भू-निर्देशांक	
		अक्षांश	देशांतर
1	उत्तर	उ33°42'22.654"	पू 75°29'37.247"
2	पूर्व	उ33°39'15.486"	पू 75°30'57.485"
3	दक्षिण	उ33°36'34.283"	पू 75°26'47.949"
4	पश्चिम	उ33°38'54.901"	पू 75°25'24.056"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	दिशा डब्ल्यू. आर. टी. अभयारण्य की सीमाएँ	बिंदु	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	अक्षांश
1	उत्तर पूर्व	ए2	उ33°40'54.182"	पू75°30'35.514"
2	पूर्व	ए3	उ33°39'15.486"	पू75°30'57.485"
3	दक्षिण पूर्व	ए4	उ33°37'45.695"	पू75°30'0.406"
4	दक्षिण	ए6	उ33°36'35.538"	पू75°25'5.481"
5	पश्चिम	ए7	उ33°38'54.901"	पू75°25'24.056"
6	उत्तर पश्चिम	ए8	उ33°41'6.639"	पू75°27'42.689"
7	उत्तर	ए9	उ33°42'54.937"	पू75°29'17.450"
8	दक्षिण पश्चिम	ए10	उ33°36'50.538"	पू75°26'6.111"

उपाबंध-IV

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2019

S.O. 3461(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Rajparian Wildlife Sanctuary lies between 33°36'30" to 33°42'30"N and 75°25'30" to 75°31'15" E and is located about 90 kilometres away on the southern side of Srinagar city, in Anantnag District of the Kashmir Valley. The Sanctuary covers an area of 48.28 square kilometres;

AND WHEREAS, Rajparian Wildlife Sanctuary and its adjoining areas fall in the distribution range of important faunal species including musk deer, Himalayan brown bear, Asiatic black bear and common leopard, etc. The Sanctuary lies in the backdrop of the Daksum village, an important tourist destination of Kashmir. In order to maintain the sustainable tourism strategy in the area it is imperative that the forests and adjoining areas are notified as an Eco-sensitive Zone. Further, a portion of the Sanctuary is currently occupied by a Sheep Breeding Farm owned by the Department of Sheep and Animal Husbandry. The presence of such farm right inside the Sanctuary poses a direct threat to the flora and fauna therein. The sheep farm uses a considerable chunk of the forest area as summer grazing ground, thereby posing a direct competition to the wild herbivores. Further, the threat of the communication of diseases from domestic sheep to wild fauna always looms large. With the declaration of the area as an Eco-sensitive Zone, this Sheep Breeding Farm has to be relocated from the present site;

AND WHEREAS, due to the variation in altitude, aspect and soil, a diversity of vegetation is discernible in the tract. Four different categories of forest types exist in the Sanctuary. They may be classified as: (a) Riverian Vegetation: - this type of vegetation is mainly confined to the side of tributaries of the Rajparian Nallah near the Daksum up to Khatan Pathri. Some principally broad leaved genera such as *Aesculus indica*, *Juglans regia*, *Rubinia*, *morus*, *Quercus incana*, *Rhus succedanea*, *Celtis cavacasica*, *Prunus persica*, *Ulmus wallichiana*, *Corylus colurna*, *Padus cornuta*, etc. The shrubs dominating the ground cover include *Parrotiopsis jacquemontiana*, Rosa species interspersed with *Viburnum*, *Berberis* species, *Rubus*, *Aesculus indicus*, *Lonicera* and *Indigofera species*, *Demodeum*, *Jasmine* and *Isodon* too are existing in the area. (b) Coniferous Forests:- it is an evergreen association of Kail (*Pinus graffithi*), a spruce (*Picea smithiana*) with other broad leaved species *Aesculus indica*, *Quercus incana* and Fir (*Abies pindrow*) communities confined to the steeply slopes of the Sanctuary. At heights, spruce (*Picea smithiana*) is found in association with *Pinus wallichiana*, *Heterantha* shrubs. In some place broad leaved species of Birch (*Betula utilis*) fairly mix up with Kail (*Pinus griffithi*) and spruce, besides *Soboriva tomentosa*, Rosa species, *Viburnum* species are found in association with them. (c) Alpine Pasture and Scrubs: - mostly dominated by Birch (*Betula utilis*), unidentified grasses of glades, dotted at some places by spruce (*Picea smithiana*) with *Rhododendron*, *Companulatum*, Rosa and *Rubus* species, *Juniperus*, *Indigofera*, *Primula*, *Anemone*, *Myosotis* intercept at several places. (d) Rock Faces: - the vegetation found in this area is confined mostly to the hilltops and gulleys called 'Nars' and is represented by coarse grasses, *Juniperus* species and *Rhododendron* species;

AND WHEREAS, the western Himalayas are a store-house of medicinal and aromatic plants which are used in the pharmaceutical and perfume industries. The Rajparian Wildlife Sanctuary is blessed with numerous plant species of great medicinal value. Some medical plants growing wild in the area include *Aconitum heterophyllum*, *Arnebia benthamii*, *Artemisia absinthium*, *Berberis lycium*, *Bergenia lingulata*, *Datura stramonium*, *Dioscorea deltoidea*, *Lavatera cashmeriana*, *Saussurea costus* and *Taxus wallichina*, etc;

AND WHEREAS, Rajparian Wildlife Sanctuary (Daksum) is the home of many common, rare and endangered mammalian species including musk deer (*Moschus moschiferus*), serow (*Capricornis sumatraensis*), Himalayan marmot (*Marmot himalayana*), Himalayan mouse-hare (*Ochotona seyllii*), Kashmir flying squirrel (*Eoglaucomys fibriatus*), Himalayan yellow throated martin (*Martes flavigula*), brown bear (*Ursus isabellinus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), red fox (*Vulpus montana*), jackal (*Canis aureus*), small Indian mongoose (*Herpestes auropunctatus*), leopard (*Panthera pardus*), common gray langur (*Semnopithecus ajax*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), snow leopard (*Panthera uncia*), etc. The major bird species found in the Sanctuary are black eared kite (*Milvus migrans*), Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayensis*), white backed vulture (*Pseudopus bengalensis*), monal (*Lophophorus impejanus*), Himalayan snow cock (*Tetraogallus Himalayensis*), chucker (*Alectoris chukar*), koklas (*Persia macrolopha*), blue rock pigeon (*Columba livia*), Himalayan rufus turtle dove (*Streptopelia orientalis*), ring dove (*S. decaota*), red turtle dove (*S. tranqubarica*), Asiatic cuckoo (*Cuculus saturatus*), alpine swift (*Tachymarptis melba*), Kashmir roller (*Crocius gasrullus semenwi*), common hoopoe (*Upupa epops*), Kashmiri woodpecker (*Trybatus himalayensis*), common swallow (*Hirundo rustica*), rufus backed shrike (*Lanius schach*), Eurasian golden oriole (*Oriolus oriolus*), Indian myna (*Acridotheres tristis*), large billed crow (*Corvus macrorhynchos*), large spotted nutcracker (*Nucifragemuhi punctata*), white checked bulbul (*Pycnonotus leucogenys*), streaked laughing thrush (*Trochalopteron lineatum*), Kashmir wren (*Troglodytes neglectus*), grey tit (*Parus major*), Kashmir house sparrow (*Passer domesticus*), etc;

AND WHEREAS, important rare, endangered and threatened species found in the Rajparian Wildlife Sanctuary are brown bear (Endangered), Kashmir musk deer (Endangered), common leopard (Vulnerable), snow leopard (Endangered), bearded vulture (Near Threatened), Kashmir flycatcher (Vulnerable), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Rajparian Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1 kilometre around the boundary of Rajparian Wildlife Sanctuary, in Anantnag districts in the State of Jammu and Kashmir as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** - (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1 kilometre around the boundary of Rajparian Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is **22.60 square kilometres**.

(Zero extent of Eco-sensitive Zone was on the Southern side at the entry for the reason that the Daksum village and its existing developing activities are the limiting factors. The area falling from points A1 to A4 in the annexed maps has also been kept as zero extent of Eco-sensitive Zone as the said portion falls in the other province i.e. Jammu province while as all around the Sanctuary existence of 30 meters to 1 kilometer has been proposed as additional corridor of

the Sanctuary as Eco-sensitive Zone. The said area is mainly surrounded by the forest area. This shall provide more freedom of movement to the wildlife and flourishing biodiversity in the area)

- (2) The boundary description of Rajparian Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Rajparian Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID** and **Annexure-IIIE**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Rajparian Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
 - (5) There is no village falling in the Eco-sensitive Zone.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forests;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation & Flood Control;
 - (ix) Jammu and Kashmir State Pollution Control Board;
 - (x) Municipal;
 - (xi) Panchayati Raj; and
 - (xii) Public Works Department
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be

identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		<p>extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
11.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
30.	Migratory graziers.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Collector, Anantnag	Chairman, ex officio

(ii)	Regional Officer, Jammu and Kashmir State Pollution Control Board	Member;
(iii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(vi)	Divisional Forest Officer cum Wildlife Warden, South Kashmir Anantnag	Member;
(vii)	Wildlife Warden, South Kashmir Anantnag	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure IV.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/03/2019-ESZ]

DR SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


ANNEXURE- I

**BOUNDARY DESCRIPTION OF RJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE
ZONE IN THE STATE JAMMU AND KASHMIR**

S. No.	Direction w.r.t Boundaries of Sanctuary	Point	Distance in Meters of ESZ from Boundary of PA(M)	Geo-Coordinates		Remarks
				Latitude	Longitude	
1	North East	A2	1000	N33°40'54.182"	E75°30'35.514"	Alpine Pasture, Shilsar Pass
2	East	A3	30	N33°39'15.486"	E75°30'57.485"	Pirpanjal Pass, Wat Nar
3	South East	A4	30	N33°37'45.695"	E75°30'0.406"	PirPanjal Pass, WogabalSar
4	South	A6	1000	N33°36'35.538"	E75°25'5.481"	Alpine Pasture, Razparyin Nar
5	West	A7	1000	N33°38'54.901"	E75°25'24.056"	Wopalhakmarg
6	North West	A8	1000	N33°41'6.639"	E75°27'42.689"	Hardalou
7	North	A9	1000	N33°42'54.937"	E75°29'17.450"	Alpine Pasture, Gandimandu
8	South West	A10		N33°36'50.538"	E75°26'6.111"	


ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF RJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE RJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IID

MAP OF RJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RJPARIAN WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH



ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF RJPARIAN
WILDLIFE SANCTUARY**

Sr. No.	Direction w.r.t Boundaries of Sanctuary	Geo-Coordinates	
		Latitude	Longitude
1	North	N33°42'22.654"	E75°29'37.247"
2	East	N33°39'15.486"	E75°30'57.485"
3	South	N33°36'34.283"	E75°26'47.949"
4	West	N33°38'54.901"	E75°25'24.056"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Direction w.r.t Boundaries of Sanctuary	Point	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	North East	A2	N33°40'54.182"	E75°30'35.514"
2	East	A3	N33°39'15.486"	E75°30'57.485"
3	South East	A4	N33°37'45.695"	E75°30'0.406"
4	South	A6	N33°36'35.538"	E75°25'5.481"
5	West	A7	N33°38'54.901"	E75°25'24.056"
6	North West	A8	N33°41'6.639"	E75°27'42.689"
7	North	A9	N33°42'54.937"	E75°29'17.450"
8	South West	A10	N33°36'50.538"	E75°26'6.111"

ANNEXURE – IV**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.